


बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग
सं०-८डी०(बजट-आवंटन-२२२५)-१२-१५/२०१७-

१/०७.०६.१७

शुद्धि पत्र


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत आवंटनादेश संख्या-०६ दिनांक-१५/०५/१७ के साथ सलंग्न विवरणी के कॉलम-१५ में "व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं" के स्थान पर "संविदा सेवाएं" पढ़ा जाय।

२- इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं शेष यथावत रहेगा।



(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक-८डी०(बजट-आवंटन-२२२५)-१२-१५/२०१७- १/ पटना, दिनांक-०७.०६.१७
प्रतिलिपि : (१) विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(२) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(३) सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /सभी उप विकास आयुक्त, /उप निदेशक, कल्याण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (मुख्यालय)/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव, /सभी उप निदेशक, कल्याण, बिहार/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक- ८डी०(बजट-आवंटन-२२२५)-१२-१५/२०१७- १/ पटना, दिनांक ०७.०६.१७
प्रतिलिपि : सभी कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

१/०७.०६.१७